TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951) and in supersession of this department's notification number F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-75280 dated 01.11.2010 and F.6(59)Pari/Tax/Hqrs/05-645 dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts, Two Wheeler Vehicles distributed free of cost under Devnarayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojana or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojana, from payment of One Time Tax, Green Tax and Surcharge payable under section 4, 4-D and 4-E of the said Act.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27D] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(59)पिटे/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 01.11.2010 और एफ.6(59)पिटे/टैक्स/एचक्यू/05 दिनांक 27.4.2012 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये जा रहे दो पहिया यानों को, उक्त अधिनियम की धारा 4, 4-घ और 4-ङ के अधीन संदेय एकबारीय कर, ग्रीन कर और अधिभार के संदाय से तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा, छूट देती है।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27डी] राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव